संख्या-06/2018/668/46-3-17-1000(53)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

विषय:-**वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23(राजस्व मद) के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त अधिष्ठान से संबंधित वेतन,भत्ते व अन्य वचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, मानक मद-"14 मोटर गाडियों का क्रय" हेतु प्राविधानित धनराशि को छोड़कर, अवशेष धनराशि के संबंध में, वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष **2018-19** में, गन्ना आयुक्त अधिष्ठान से संबंधित वेतन,भत्ते व अन्य वचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान संख्या-**23** (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**2401**, फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रू.1,99,73,42,000/- मतदेय (रूपया एक अरब निन्यानबे करोड़ तिहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) तथा रू.2,00,000/- भारित (रूपया दो लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू.1,99,75,42,000/- (रूपया एक अरब निन्यानबे करोड़ पिचहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है**। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, **मानक मद-"14 मोटर गाडियों का क्रय"** हेतु प्राविधानित धनराशि **रू.8,00,000/- (रूपया आठ लाख मात्र)** को छोड़कर, अवशेष बची हुई धनराशि **रू.1,99,65,42,000/- मतदेय (रूपया एक अरब निन्यानबे करोड़ पैंसठ लाख बयालिस हजार मात्र) तथा रू.2,00,000/- भारित (रूपया दो लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू.1,99,67,42,000/- (रूपया एक अरब निन्यानबे करोड़ सड्सठ लाख बयालिस हजार मात्र) को,** इस शासनादेश के **संलग्नक में यथाउल्लिखित विभिन्न मानक मदों के लिए अंकित धनराशि के विवरण के अनुसार, व्यय किये जाने की अनुमति सहित,आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति** प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 के अनुसार स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018** में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में उल्लिखित मानक मद-"14 मोटर गाडियों का क्रय" हेतु प्राविधानित धनराशि अंकन **रू.8,00,000/- (रूपया आठ लाख मात्र) के संबंध में वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018** के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(7) में दिये गये निर्देशानुसार, मोटर गाडियों के क्रय किये जाने के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों व निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का समुचित प्रस्ताव, आपके स्तर से प्राप्त होने पर, अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त पृथक से निर्गत की जायेगी। इसी आधार पर उक्त धनराशि को छोड़ते हुए यह वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही विभिन्न लेखाशीर्षकों/मदों की उक्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित तथा वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं वित्त विभाग एवं महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को नियमित रूप से उपलब्ध कराने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा लेखाओं का नियमित/त्रैमासिक मिलान, महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से अवश्य कराया जाय। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व विभागीय वित्त नियंत्रक का होगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम **त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का आवंटन न किया जाय।**

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके ।

8- वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

9- उक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। गन्ना आयुक्त, अनुदान/भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार करेंगे और जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिये समान रूप से की जाय।

10- उपर्युक्त व्यय चालू **वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अधीन लेखा शीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म"** के अन्तर्गत, **संलग्नक में अंकित**, संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-06/2018/668 (1)/46-3-18-1000(53)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-संख्या-06/2018/668/46-3-18-1000(53)/2017. दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

का संलग्नक

वित्तीय वर्ष **2018-19** में अनुदान संख्या-**23** (राजस्व मद) के अन्तर्गत **गन्ना आयुक्त अधिष्ठान से संबंधित वेतन, भत्ते व अन्य वचनबद्ध व्ययों** को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, **मानक मद- "14 मोटर गाडियों का क्रय" हेतु प्राविधानित धनराशि को छोड़कर,** निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति।

अनुदान संख्या 23 (राजस्व मद) **चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग**

क्रमांक	लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)
अ-	**2401-फसल कृषि कर्म** **001-निदेशन तथा प्रशासन** **03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान**		
1	01-वेतन	860.26	860.26
2	02-मजदूरी	1.25	1.25
3	03-महँगाई भत्ता	86.03	86.03
4	04-यात्रा व्यय	7.00	7.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
6	06-अन्य भत्ते	60.00	60.00
7	07-मानदेय	0.35	0.35
8	08-कार्यालय व्यय	17.60	17.60
9	09-विद्युत देय	45.00	45.00
10	10-जलकर /जलप्रभार	0.35	0.35
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00	6.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	10.00
14	14- मोटर गाडियों का क्रय	8.00	---
15	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	3.00
16	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	10.00	10.00
17	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	5.00	5.00
18	29-अनुरक्षण	4.00	4.00
19	42-अन्य व्यय (मतदेय)	---	---
20	42-अन्य व्यय (भारित)	2.00	2.00
21	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
23	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
24	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
25	49-चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
26	51-वर्दी व्यय	0.88	0.88

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

27	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	50.99	50.99
	योगः 001/03 मतदेय **भारित**	**1206.71** **2.00**	**1198.71** **2.00**
ब-	2401-**फसल कृषि कर्म** 001-**निदेशन तथा प्रशासन** 04-**क्षेत्रीय कार्यालय**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
1	01-वेतन	527.25	527.25
2	03-महँगाई भत्ता	52.73	52.73
3	04-यात्रा व्यय	4.46	4.46
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.56	0.56
5	06-अन्य भत्ते	24.00	24.00
6	07-मानदेय	0.24	0.24
7	08-कार्यालय व्यय	1.64	1.64
8	09-विद्युत देय	2.72	2.72
9	10-जलकर /जलप्रभार	0.10	0.10
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	2.00
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
12	13-टेलीफोन पर व्यय	1.21	1.21
13	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.21	0.21
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.15	0.15
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	3.32	3.32
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.60	0.60
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.40
20	49-चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
21	51-वर्दी व्यय	0.13	0.13
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	32.78	32.78
	योगः 001/04 मतदेय	**661.60**	**661.60**
स-	**2401-फसल कृषि कर्म** **108-वाणिज्यिक फसलें** **04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढीकरण**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
1	01-वेतन	14994.26	14994.26
2	03-महँगाई भत्ता	1499.43	1499.43
3	04-यात्रा व्यय	22.24	22.24
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.26	7.26
5	06-अन्य भत्ते	482.00	482.00
6	07-मानदेय	0.68	0.68

http://shasanadesh.up.nic.in

7	08-कार्यालय व्यय	12.46	12.46
8	09-विद्युत देय	19.30	19.30
9	10-जलकर /जलप्रभार	1.00	1.00
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.30	5.30
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7.64	7.64
12	13-टेलीफोन पर व्यय	4.74	4.74
13	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	3.30	3.30
14	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2.35	2.35
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	45.68	45.68
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4.00	4.00
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.70	4.70
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.11	6.11
20	49-चिकित्सा व्यय	44.00	44.00
21	51-वर्दी व्यय	1.44	1.44
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	935.22	935.22
	योग- 108/04 मतदेय	**18105.11**	**18105.11**
	महायोगः 2401- मतदेय (अ+ब+स) भारित	**19973.42 2.00**	**19965.42 2.00**

(रूपया एक अरब निन्यानबे करोड़ पैंसठ लाख बयालिस हजार मात्र (मतदेय) तथा रूपया दो लाख (भारित) - कुल रूपया एक अरब निन्यानबे करोड़ सड्सठ लाख बयालिस हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।